## -:प्रेस नोट:-

**दिनांक- 27.02.2026**

# कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **युवक को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने वाले 04 अभियुक्त को थाना गिरवां पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार। अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त लाठी-डण्डे बरामद।**

विवरण– पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 27.02.2026 को थाना गिरवां पुलिस द्वारा व्यक्ति पर हमला कर गम्भीर रूप से घायल करने वाले 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गौरतलब हो कि दिनांक 26.02.2026 को थाना गिरवां क्षेत्र के ग्राम प्रीतमपुर के रहने वाले राजेश पुत्र शिवबदन ने लाठी-डंडों से हमला कर गम्भीर रूप से घायल करने व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में सूचना दी गई थी। सूचना पर प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना गिरवां पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में आज दिनांक 27.02.2026 को गश्त एवं चेकिग दौरान 04 अभियुक्तों को ग्राम प्रीतमपुर थाना गिरवां से गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्तों की निशाहदेही पर घटना में प्रयुक्त लाठी-डण्डे बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. नवल किशोर पुत्र जगदेव निवासी ग्राम प्रीतमपुर थाना गिरवां जनपद बांदा।
2. छोटेलाल पुत्र रामबहोरी निवासी ग्राम प्रीतमपुर थाना गिरवां जनपद बांदा।
3. रामसेवक पुत्र नवलकिशोर निवासी प्रीतमपुर थाना गिरवां जनपद बांदा।
4. दिनेश पुत्र नवलकिशोर निवासी प्रीतमपुर थाना गिरवां जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0- 71/26 धारा 191(2)/191(3)/190/333/74/117(2)/109 बीएनएस थाना गिरवां जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री गौरव कुमार
2. उ0नि0 श्री केशरी सिंह
3. कां0 प्रहलाद
4. कां0 राघवेन्द्र सिंह
5. म0कां0 दीप्ती चतुर्वेदी